

**न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और गुरमीत सिंह संधावालिया के
समक्ष**

मेसर्स मोटोरोला सॉल्यूशंस इंडिया प्रा सीमित-याचिकाकर्ताबनाम

आयकर आयुक्त, फ़रीदाबाद और अन्य- प्रतिवादी

2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 22229

26 नोव्हेंबर 2012

भारत का संविधान, 1950 - कला 226 और 22 7 - आयकर अधिनियम, 1961 - Ss. 144-C & 281-B - उपायुक्त, आयकर ने धारा 281-B के तहत अनंतिम कुर्की का आदेश दिया और भुगतान न करने के लिए बैंकों और देनदारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया - याचिकाकर्ता ने उपायुक्त के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की मांग की और प्रस्तुत किया कि अनंतिम कुर्की का आदेश और मूल्यांकन आदेश पारित करने के बाद नोटिस का संचालन बंद हो जाता है - राजस्व का विवाद कि अनंतिम कुर्की आदेश छह महीने के लिए लागू रहेगा - माना जाता है कि मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद, अनंतिम कुर्की आदेश छह महीने तक लागू नहीं रहेगा - राजस्व का विवाद खारिज कर दिया गया - रिट की अनुमति दी गई

यह माना जाता है कि राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई व्याख्या कि मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद भी, अनंतिम कुर्की आदेश अभी भी छह महीने तक लागू रहेगा, दस्तावेज स्वीकृति के योग्य नहीं हैं और इस प्रकार, खारिज कर दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि चूंकि अनंतिम कुर्की के आदेश को 8.11.2012 के बाद अप्रभावी माना गया है, इसलिए इस विवाद के गुण-दोष में तल्लीन करना आवश्यक नहीं होगा कि क्या अनंतिम कुर्की का आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खराब था या नहीं क्योंकि इसे अकादमिक बना दिया गया है।

(पैरा 13)

आगे यह निर्णय दिया गया कि यह मानते हुए कि अनंतिम कुर्की आदेश अनुलग्नक पी-2 दिनांक 1.11.2012 और अधिसूचना/1 सिटर्स दिनांक 2.11.2012, अनुबंध पी-9 के रूप में सामूहिक रूप से संलग्न भी 8.11.2012 के बाद संचालित होगा, यह निर्देश दिया जाता है कि वरिष्ठ द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा और 31.12.2012 तक उसी रूप में रहेगा।

(पैरा 15)

अशोक अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट विद आशिम अग्रवाल, एडवोकेट, **याचिकाकर्ता के लिए।**

प्रतिवादियों के लिए **अधिवक्ता तजेंद्र के. जोशी।**

अजय कुमार मित्तल, जे.

(1) याचिकाकर्ता भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह मोटोरोला सॉल्यूशंस इंटरनेशनल कैपिटल एलएलसी, यूएसए की सहायक कंपनी है और मोटोरोला सॉल्यूशंस, यूएसए अंतिम होल्डिंग कंपनी है। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 – आयकर उपायुक्त, सर्कल-2, गुड़गांव (डीसीआईटी) द्वारा धारा 28 आईबी के तहत पारित दिनांक 1.11.2012, अनुलग्नक पी.2 के आदेश को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "अधिनियम"), जिसके तहत अनंतिम कुर्की का आदेश दिया गया है। इसके अलावा दिनांक 21.11.2012 के पत्रों/नोटिसों को रद्द करने के लिए भी अनुरोध किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से अनुबंध पी-9 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें बैंकों और देनदारों को याचिकाकर्ता को भुगतान न करने का निर्देश दिया गया है।

(2) रिट याचिका में दिए गए विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यह एक आयकर निर्धारिती है और निगमित होने के बाद से ही अपना रिटर्न दाखिल कर रहा है। 30-9-2008 को याचिकाकर्ता ने कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आय की मूल विवरणी ई-फाइल की थी जिसे बाद में 31-3-2010 को संशोधित किया गया था जिसमें * 9,42,01,184/- की आय घोषित की गई थी। अधिनियम की धारा 144 ग के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए सहायक आयकर आयुक्त, गुड़गांव (एसीआईटी) द्वारा दिनांक 22-12-2011 को एक मसौदा निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसमें विवरणी की गई आय में कतिपय परिवर्धन किए गए थे। याचिकाकर्ता ने मसौदा निर्धारण आदेश पर विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष दिनांक 27.01.2012 को आपत्तियां दायर की थीं। तत्पश्चात्, डीआरपी ने दिनांक 21.09.2012 को अधिनियम की धारा 144 ग(5) के अंतर्गत अनुबंध-पी-8 आदेश पारित किया जिसमें कर निर्धारण अधिकारी को इसके द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार कर निर्धारण पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस बीच, 1.11.2012 को,

प्रतिवादी नंबर 2 ने अधिनियम की धारा 28 आईबी के तहत याचिकाकर्ता की संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्रतिवादी नंबर 1 आयुक्त इनकॉमटैक्स आयुक्त, फरीदाबाद को भेजा जिसे उसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपर्युक्त अनंतिम कुर्की पर, याचिकाकर्ता को भुगतान न करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मुंबई और याचिकाकर्ता के विविध देनदारों को 2.11.2012 को लेटर / इससे व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(3) नोटिस जारी किए जाने पर, प्रतिवादियों के बारे में जवाब दायर किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 281 बी के तहत अनंतिम कुर्की की कार्रवाई को उचित ठहराने की मांग की गई है। यह कहा गया है कि हालांकि एएसएससीएसएससीसी के पास पर्याप्त तरल धन और अन्य संपत्तियां उपलब्ध हैं, लेकिन बैंक खातों और देनदारों में उपलब्ध शेष राशि से बकाया राशि की वसूली से याचिकाकर्ता को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। आगे यह भी कहा गया है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.11.2012 का आदेश पारित किया गया है।

(4) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया

है।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, मूल्यांकन आदेश 8.11.2012 को पारित किया गया है और इसलिए, अनंतिम कुर्की आदेश अनुलग्नक पी.2 संचालित नहीं होता है। **देवराजन और अन्य तमिलनाडु किसान सेवा सहकारी संघ और अन्य (1) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 55 और 68 में कुछ टिप्पणियों से समर्थन लिया गया था**, उनके तर्क के समर्थन में, जो निम्नलिखित शब्दों में है: -

"55. इसी तरह, धारा 281 बी के तहत, जहां, किसी भी आय के आकलन के लिए किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आईटीओ की राय थी कि ऐसा करने के लिए आवश्यक था, वह आयुक्त के पिछले अनुमोदन के साथ, लिखित रूप में आदेश द्वारा, दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए तरीके से अस्सेक से संबंधित किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न कर सकता है।

(1) 1981 (51) कंपनी के मामले 682

धारा 281 बी मूल्यांकन के लिए किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रयोग की जाने वाली शक्ति है, ताकि मूल्यांकन पूरा होने पर अपने संसाधनों को विभाग की पहुंच से बाहर न फेंका या छिपाए नहीं। धारा 226 और 281B के प्रावधानों के संबंध में, यह स्पष्ट होगा कि किसी भी लंबित कार्यवाही के अभाव में भी धारा 132 को लागू करने का इरादा है।

सप्त: सं० [सं० ष० त०] १.

68. xxxxxxxx संपत्ति के संबंध में कार्यवाही, जो चाप जब्त कर लिया है, उन लोगों से अलग है जो कुर्की के अधीन हैं। परिसंपत्तियों की प्रकृति वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराएगी ताकि, मोटे तौर पर कहें तो, उन परिसंपत्तियों के संबंध में जहां जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, उन्हें कुर्क किया जा सकता है और जिन्हें जब्त किया जा सकता है उन्हें कब्जे में लिया जा सकता है। परिसंपत्तियों के मामले में, जो कुर्की के अधीन हैं, अवधि, किसी भी घटना में, मूल्यांकन के पूरा होने के समय समाप्त हो जाएगी; इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो इस मामले को धारा 226 के तहत निपटाना होगा। यहां तक कि अगर कुर्की जारी रखी जानी थी, तो इसे धारा 226 के तहत जारी रखना होगा, अन्यथा एक ही उद्देश्य के लिए प्रावधानों की बहुलता होगी और संसद को एक ही उद्देश्य के लिए कई प्रावधान प्रदान करने का इरादा गलत होगा, xxxxx"

विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 281 बी को राजस्व के हितों की रक्षा के लिए डाला गया था, जहां भी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा यह सोचा गया था कि नियमित मूल्यांकन पर देय राशि की वसूली खतरे में पड़ जाएगी और जहां मांग बढ़ाने में समय लगने की संभावना है और निर्धारिती उस मांग के संग्रह को विफल कर सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 28 आईबी के तहत अनंतिम कुर्की के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 के अनुरूप हैं जो निर्णय

से पहले कुर्की का प्रावधान करता है और मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। यह भी बताया गया कि बकाया मांग की वसूली से संबंधित अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (1) के परंतुक के तहत निर्धारण आदेश पारित होने के बाद, निर्धारण अधिकारी इससे कम अवधि देने के लिए अधिकृत है

(ग) संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् बकाया राशि जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है बशर्ते कि निर्धारित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि 30 दिनों की पूरी अवधि की अनुमति देना राजस्व के लिए हानिकारक होगा।

(6) इसके अलावा, आक्षेपित आदेश को गुण-दोष के आधार पर भी चुनौती देने की मांग की गई थी और साथ ही यह भी बताया गया था कि अधिनियम की धारा 281 बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई संतुष्टि पूरी नहीं हुई थी क्योंकि निर्धारण अधिकारी इस तथ्य से प्रभावित था कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में, 161 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ निर्धारित ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष स्थगन आवेदन दायर किया था, अधिकरण द्वारा मांग पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप राजस्व निर्धारित से कोई राशि वसूल नहीं कर सका। यह भी आग्रह किया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश तैयार करते समय और अधिनियम की धारा 156 के तहत नोटिस जारी करते समय कर मांग को जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था और इसलिए, पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति तक, निर्धारित को डिफॉल्ट रूप से निर्धारित नहीं माना जा सकता था और अनंतिम कुर्की का आदेश इस प्रकार है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

(7) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, राजस्व के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन अधिकारी 1.11.2012 को अधिनियम की धारा 281 बी के तहत अनंतिम कुर्की के आदेश को पारित करने के लिए पूरी तरह से न्यायसंगत था, जिसे छह महीने की अवधि के लिए संचालित करना था क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 की पूर्व स्वीकृति प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्राप्त की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह राजस्व के हितों की रक्षा के लिए था क्योंकि कुछ समाचार पत्रों के प्रकाशन थे जिनके द्वारा यह प्रकाशित किया गया था कि मोटोरोला मोबिलिटी इंडिया अपनी परिसंपत्तियों का निपटान कर रही थी और भारत में अपनी गतिविधियों को बंद करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए उस स्थिति में, मूल्यांकन आदेश द्वारा बनाई गई देयता की वसूली नहीं की जा सकती। राजस्व के विद्वान वकील के अनुसार, दिनांक 1.11.2012 के अनंतिम कुर्की आदेश की छह महीने की वैधता अवधि 8.11.2012 को मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद समाप्त नहीं होगी क्योंकि 1.11.2012 को आदेश पारित करने की तारीख के अनुसार, यह वैध रूप से पारित किया गया था जिसे छह महीने तक जारी रखना था। **फिरोज टिन फैक्ट्री एंटी अदर बनाम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया गया था। आयकर सहायक आयुक्त और अन्य।** 2012 की रिट याचिका (लॉजिंग) सं 765, जिसका निर्णय 26032012 को हुआ और **मैसर्स बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंग प्रा लि ने दिनांक** 26032012 को निर्णय दिया। 2012 की सीडब्ल्यूपीएनओ 22229 7 **लिमिटेड बनाम भारत संघ**, रिट याचिका (लॉज) 2012 की संख्या 1424, 22.6.2012 को निर्णित

(8) दिनांक 1.11.2012 के अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि से संबंधित मुद्दे की जांच करते हुए, सबसे पहले, अधिनियम की धारा 281 बी का संदर्भ लेना समीचीन होगा जिसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से कानून में डाला गया था और यह इस प्रकार पढ़ता है: -

- (1) जहां, किसी आय के निर्धारण के लिए या किसी आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जो निर्धारण से बच गया है, सहायक अधिकारी की राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, वह मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक,

लिखित आदेश द्वारा, दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए तरीके से अकाउंट्स से संबंधित किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न करते हैं।

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 132 की उप-धारा (5) के तहत कार्यवाही को किसी भी आय के आकलन के लिए या किसी भी आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही माना जाएगा जो मूल्यांकन से बच गया है।

(2) ऐसा प्रत्येक अनंतिम कुर्की उप-धारा (1) के तहत किए गए आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगा: बशर्ते कि मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, पूर्वोक्त अवधि को ऐसी आगे की अवधि या अवधि तक बढ़ा सकता है जो वह ठीक समझता है, इसलिए, हालांकि, विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि धारा 245C के तहत निपटान के लिए एक आवेदन किया जाता है, उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि जिस पर ऐसा आवेदन किया जाता है और उस तारीख के साथ समाप्त होता है जिस पर धारा 245D की उप-धारा (1) के तहत एक आदेश किया जाता है, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट अवधि से बाहर रखा जाएगा।

परन्तु यह भी कि वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाती है, प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि से अपवर्जित की जाएगी?

(9) अधिनियम की धारा 281 ख को सीधे शब्दों में पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कर निर्धारण अधिकारी को किसी आय के आकलन के लिए या किसी आय के आकलन या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कुछ मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की के लिए आदेश पारित करने का अधिकार है। तथापि, कर निर्धारण अधिकारी से यह राय प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है कि राजस्व के हितों की रक्षा के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त आवश्यकता विनिदष्ट की गई है जिसमें अनंतिम कुर्की के लिए आदेश पारित करने से पहले मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त अथवा महानिदेशक अथवा निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है। इसकी उप-धारा (2) के तहत, वह अवधि जिसके दौरान आदेश चालू रहता है, प्रदान किया गया है जो अधिनियम की धारा 28 आईबी की उप-धारा (1) के तहत किए गए आदेश की तारीख से छह महीने है। तथापि, मुख्य आयुक्त या आयुक्त या महानिदेशक या निदेशक को, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, पूर्वोक्त अवधि को आगे की अवधि या अवधियों के लिए बढ़ाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जैसा कि उनकी राय में उचित होगा, लेकिन विस्तार की कुल अवधि, किसी भी स्थिति में, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, पूर्वोक्त उपबंध के अनुसार, किसी कर निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने अथवा पुनर्निर्धारण के अनुसरण में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कि राजस्व के हितों की रक्षा करने के लिए इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने और संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अनंतिम कुर्की का आदेश पारित किया जा सकता है।

(10) इस प्रावधान के सम्मिलन के दायरे और प्रभाव को बोर्ड विडक परिपत्र संख्या 179 दिनांक 30.9.1975 द्वारा निम्नानुसार समझाया गया था: -

"27. 'संशोधन अधिनियम ने आईटीओ को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई धारा 281 बी डाली है ताकि किसी भी आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्धारिती की किसी भी संपत्ति का अनंतिम कुर्की किया जा सके (भले ही निर्धारिती के खिलाफ कोई मांग बकाया न हो), यदि वह राय का है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अनंतिम कुर्की का आदेश आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। इस तरह की अनंतिम कुर्की आमतौर पर छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगी, लेकिन उपयुक्त मामलों में, आयुक्त उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सकता है

इसलिए, हालांकि, विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान उन मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए किया गया है जहां जांच के कारण मांग बढ़ाने में समय लगने की संभावना है और ऐसी आशंका है कि एसीसी उस मांग के अंतिम संग्रह को विफल कर सकता है।

(11) उपर्युक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि जहां किसी आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जांच के कारण मांग बढ़ाने में समय लगने की संभावना है और ऐसी आशंका है कि कर निर्धारिती उस मांग की वसूली को विफल कर सकता है, अनंतिम कुर्की की जा सकती है। यह इस व्याख्या का समर्थन करता है कि यह केवल तब तक

है जब तक कि मूल्यांकन आदेश पारित करके वास्तविक मांग नहीं बनाई जाती है कि अनंतिम कुर्की आदेश संचालन में रहेगा। एक अन्य कारक जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (1) के पहले परंतुक से संबंधित है जहां कर निर्धारण अधिकारी को 30 दिनों की पूरी अवधि को कम करने का अधिकार दिया गया है, जहां भी उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि अधिनियम की धारा 220(1) के अनुसार मांग जमा करने के लिए 30 दिनों की पूरी अवधि की अनुमति देकर यह राजस्व के लिए हानिकारक होगा। कर निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान हैं यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह आशंका है कि असंगत विधि अपनाकर कर राज्य के वैध कर बकायों की वसूली को विफल किया जा सकता है।

(12) बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णयों का विज्ञापन करते हुए, जिस पर वकील या राजस्व द्वारा भरोसा किया गया है, यह देखा जा सकता है कि उन मामलों में, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 220 (6) के तहत मांग पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इससे पहले अधिनियम की धारा 281 बी के तहत अनंतिम कुर्की का आदेश पारित किया गया था। अपील के लंबित रहने के मामले में कहा गया था कि चूंकि अस्थायी कुर्की आदेश था, जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति नहीं की थी, इसलिए कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मांग की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। उन मामलों में, यह मुद्दा नहीं था कि मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद भी कुर्की के लिए अनंतिम आदेश जारी है या नहीं।

(13) उपरोक्त के मद्देनजर, राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई व्याख्या कि मूल्यांकन आदेश पारित होने के बाद भी, अनंतिम कुर्की आदेश अभी भी छह महीने तक लागू रहेगा, स्वीकृति के योग्य नहीं है और इस प्रकार, खारिज कर दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि चूंकि अनंतिम कुर्की के आदेश को 8.11.2012 के बाद अप्रभावी माना गया है, इसलिए इस विवाद के गुण-दोष में तल्लीन करना आवश्यक नहीं होगा कि क्या अनंतिम कुर्की का आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खराब था या नहीं क्योंकि इसे अकादमिक प्रदान किया गया है।

(14) कर निर्धारण आदेश दिनांक 08112012 को पारित किया गया था और उसी दिन अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया गया था जिसमें निर्धारिती को देय कर जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह बताया गया है कि उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध 9112012 को अपील दायर की गई है और आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष बाद की तारीख में स्थगन आवेदन भी दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से पूछे जाने पर कि निर्धारिती 30 दिनों की अवधि की समाप्ति तक राजस्व के हितों की रक्षा कैसे करेगा, जो 2,10,57,87,648/- रुपये की बड़ी राशि के दायित्व का निर्वहन करने की अनुमति देता है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 8.12.2012 तक, बैंक के पास पड़ी 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(15) तदनुसार, यह मानते हुए कि दिनांक 1112012 का अनंतिम कुर्की आदेश अनुबंध पी2 और अनुबंध पी9 के रूप में सामूहिक रूप से संलग्न दिनांक 2112012 के नोटिस/एलसीटीटर भी 8112012 के बाद कार्य करना बंद कर देंगे, यह निदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ

मेसर्स मोटोरोला सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वी.
आयकर आयुक्त, FAR1DAI3AD
और एक और (अजय कुमार मित्तल।

12
2

अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा और 31122012 तक उसी रूप में रहेगा। कहने की जरूरत नहीं है, यहां देखी गई किसी भी बात को इस मामले में शामिल विवाद के गुणों पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए वसूली पर रोक लगाने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क करने या राजस्व के लिए कानून के अनुसार वसूली के लिए कार्यवाही करने के लिए खुला होगा।

(16) उपर्युक्त के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

/मै। जैनी

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जैस्मिन प्रीत कौर

प्रक्षिप्त न्यायिक अधिकारी

सोनीपत
हरियाणा